न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी परसाराम (आर.ए.एस)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 264........ सन् 2021

अनुवानी

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़
बनाम

....

—: आदेश :—

तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व नियम 53, 59, 60, 66 86 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1957 मय दस्तावेजात् नकल जमाबन्दी, नकल नक्शा, मौका रिपोर्ट पटवार व भू–अभिलेख निरीक्षक, परिशिष्ट – ''ए'' एवं अभिशंषा तहसीलदार किशनगढ़ का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन किया गया जिसके अनुसार ग्राम **बीती** तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 420/34 रकबा 7.0788 हैक्टेयर किस्म चारागाह में से रकबा 0.4480 हैक्टेयर भूमि में मौके पर रास्ता चालू है। परन्तु राजस्व अभिलेख एवं राजस्व नक्शें मे उक्त रास्ते का अंकन नही है। सम्बन्धित पटवारी ने अपनी मौका रिपोर्ट पर उक्त रास्ता काफी पुराने समय से चालू बताया है। साथ ही तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकिन रास्ता अंकित करने हेतु स्पष्ट अभिशंषा की है। **प्रकरण में मौका निरीक्षण नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय किशनगढ़ अनुसार मौके पर प्रस्तावित खसरा नम्बर में बना कच्चा रास्ता सार्वजनिक उपयोग में नहीं आकर खातेदारी भूमि के आवागमन के उपयोग में आना प्रतीत होने से** तहसीलदार (भू0अ0) किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः तहसीलदार किशनगढ़ द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 16/12/21..... को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Parsa Ram
Date: 2022.03.25 14:32:58 IST
Reason: SelfAttested